



### संदेश

हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ !

भारत विविधताओं से पूरिपूर्ण राष्ट्र है। यहाँ अनेक भाषाएँ और बोलियाँ बोली जाती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए ही भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर, 1949 को एक उन्नत, समृद्ध, वैज्ञानिक और लोकप्रिय भाषा हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया एवं संविधान में इसके आधिकारिक प्रयोग के संबंध में समुचित प्रावधान किए गए।

हिंदी हमारी संस्कृति की पहचान है तथा राष्ट्रीय चेतना की भाषा है। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान को बनाए रखना तथा इसका कार्यालय में अधिक से अधिक प्रयोग करना हमारा संवैधानिक दायित्व है। सरकार और जन साधारण के बीच संपर्क, संवाद और संप्रेषण के माध्यम के रूप में निःसंदेह हिंदी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विश्व के अनेक मंचों पर व सम्मेलनों में हिंदी में अपना उद्बोधन देना, विचारों व मंतव्यों को व्यक्त करना इस बात का प्रमाण है कि सरकार इसके प्रयोग को निरंतर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाने के संवैधानिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यह अपेक्षित है कि भाषा की सहज और सरल अभिव्यक्ति के माध्यम से हिंदी में टिप्पण एवं पत्राचार को प्रोत्साहित किया जाए। यद्यपि, संघ की राजभाषा नीति का आधार सद्भावना, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन है तथापि अन्य सरकारी अनुदेशों के अनुपालन की भांति, इससे संबंधित अनुदेशों का अनुपालन भी दृढ़तापूर्वक किया जाना चाहिए।

हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर हम यह संकल्प लें कि हम सभी गर्व और उत्साह से अपना दैनिक कार्यालयीन कार्य हिंदी में करेंगे और राजभाषा संबंधी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। मुझे विश्वास है कि हम सामूहिक प्रयासों से शिक्षा मंत्रालय एवं इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संस्थानों, निकायों, विश्वविद्यालयों आदि में राजभाषा संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे।

जय हिन्द !

(धर्मेन्द्र प्रधान)